REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220946 CG-DL-E-07082020-220946

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2272] No. 2272] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2566(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
568	131 जी	रारा 31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर दीगवारा के समीप शेरपुर, कन्हौली को जोडने
		वाला और बिहार राज्य मे रामनगर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग (पटना रिंग रोड)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से तारीख 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी और उसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का. आ. 2408 (अ) दिनांकित 21 जुलाई, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

> [फा. सं. एनएच-14012/5/2020-पीएंडएम] राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2566(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
568		The highway starting from its junction with NH-31 near Dighwara connecting Sherpur, Kanhauli and terminating at Ramnagar in the state of Bihar. (Patna Ring Road)

Footnote: -The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2408 (E), dated 21st July, 2020.

[F. No. NH-14012/5/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.